न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूॅंगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या : 66/2011 राजस्व वाद

दायर दिनांक–12/9/2011
निर्णय दिनांक– 15/2/2016

1–मोहनलाल पिता नाथजी ब्राम्हण निवासी घेाटाद तहसील सागवाडा

(वादी)

बनाम

1– श्री कानजी पुत्र धुला मीणा निवासी घेाटाद
2– श्रीमती कान्ता पत्नि कानजी मीणा निवासी घेाटाद
3– श्री शिवा पूत्र कानजी मीणा निवासी घेाटाद
4– अमृत पूत्री कानजी मीणा निवासी घोटाद
5– श्री शान्तु पूत्र कानजी मीणा निवासी घोटाद
6– श्री देवा पिता कानजी मीणा निवासी घेाटाद
7– श्री हरिश पिता हुका मीणा निवासी घेाटाद तहसील सागवाडा
8– राज्य सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण – श्री मयंक दोसी,
वकील प्रतिवादीगण – श्री चन्द्रशेखर शुक्ला

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 सपठित धारा –209 राज0 टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी गॉव घोटाद का निवासी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 आपस में रिश्तेदार है । वादी के स्वामित्व एवं कब्जेदारी की खाता नम्बर 420/394 का खसरा नम्बर 4498 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि मौजा घोटाद में स्थित है। प्रतिवादीगण का वादी की उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 कानजी की कय शुदा खसरा नम्बर 131 की कृषि भूमि वादी की भूमि के पास स्थित है।प्रतिवादी संख्या 1 से 7 जबरन नाजायज तरीके से वादी के स्वामित्व व कब्जेदारी की खसरा संख्या 4498/213 की भूमि को हडपना चाहता है । वादी अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु पश्चिम तरफ परकोटा बनाना चाहता है लेकिन प्रतिवादी इसमें रूकावट करते हैं ।

वादी ने वाद के अन्त में मौजा घोटाद के वादी के स्वामित्व एंव कब्जेदारी की वर्तमान खाता नम्बर 420/394के खसरा नम्बर 4498/213 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूतमि के पश्चिम तरफ वादी को परकोटा बनाने से प्रतिवादीगण नहीं रोके न ही इस पर बाड लगाकर

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

कब्जा करने का प्रयास करे न ही वादी को उसकी भूमि से बेदखल करने का प्रयास करें तथा दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 द्धारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लिया जावे एंव बाड लगा दी जावे तो उक्त भूमि का कब्जा पुनः वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को हटाकर दिलाया जाने डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी कराने का निवेदन किया गया है ।

वादी द्धारा वाद के संलग्न वाद की पुष्टि में शपथ पत्र एवं जमाबन्दी संवत 2065–68 खाता संख्या 420/394 की प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । वकील प्रतिवादी की ओर से दिनांक 7/5/12 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।जिसमें प्रतिवादी अपने बाप दादाओं के समय से उक्त जमीन पर काबीज होकर मौके पर उनका कब्जा होना बताते हुए उनका ढालिया बना हुआ है । जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि वादी ने अपने सम्पूर्ण वाद पत्र में यह कहीं भी हवाला नहीं दिया है कि उक्त जमीन स्वयं अर्जित सम्पत्ति है अथवा वादी की पैतृक सम्पत्ति है । उक्त जमीन का स्वामित्व कब से रखता है उसका भी हवाला नहीं दिया गया है । ऐसे में वाद पत्र में वादी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर वाद पत्र लाया है जो कि गलत होकर काबिल निरस्ती के है।

जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार वाद बिन्दु कायम किए गए :–'

तनकी संख्या 1– आया वादी मौजा घोटाद में स्वामित्व एंव कब्जेयाबी की वर्तमान खाता सं0 420/394 की खसरा नम्बर 4498/213 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है । (वादी)

तनकी संख्या 2– आया वादग्रस्त भूमि पर दौराने दावा प्रतिवादी नं0 1 से 7 द्धारा कब्जा कर लिया जाता है तो वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का अतिकमण हटवा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है । (वादी)

तनकी संख्या 3 – आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण लम्बे समय से काबिज है , वाद सम्पूर्ण रूप से गलत होकर काबिल निरस्ती है । (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 4– दादरसी ।

उपरोक्तानुसार वाद बिन्दु कायम किए जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । साक्ष्य वादी में वादी की ओर से श्री मोहनलाल वादी स्वयं का बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किए । जिसमें वाद तथ्यों को दोहराते हुए जिरह में बताया है कि वादग्रस्त जमीन मेरे पिताजी के पिताजी से प्राप्त हुई है । यह सही है कि पिताजी के खाते की नकल पेश नहीं की है।वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादी द्धारा कोई ढालिया नही बनाया गया है । वादग्रस्त जमीन के पास कानजी की जमीन है । यह जमीन पूर्वजों से हमारी होना एवं परकोटा बनाने के पश्चात से ही विवाद होना तथा इससे पूर्व कोई विवाद नहीं होना ,उक्त जमीन पर हर साल फसल लेना ,यह जमीन सागवाडा– गलियाकोट रोड पर होना , प्रतिवादीगण इसी जमीन में से आना जाना

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

किया जाना बताया गया है । वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी खाता संख्या 420/394 मौजा घोटाद संवत 2065–68 EX-1 पदर्श कराई गई है ।

वादी की ओर से अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने साक्ष्य वादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई ।

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में श्री कानजी पिता धुला डी0डब्लू01 एवं सोमा पिता कुगा डी0डब्लू0 2 के बयान कराये गये । गवाह कानजी जो कि वाद में प्रतिवादी संख्या 1 है ने अपने बयान में बताया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 आपस में रिश्तेदार हैं । यह कि मुझ वादी की क्रय शुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 131 की है । वादी मोहनलाल ब्राम्हण जाति का है एंव हम प्रतिवादीगण की जमीन को हडपना चाहता है जबकि हम बाप दादाओं के समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं ,मोके पर हमारा कब्जा है एंव ढालिया बना हुआ है ,वादी जबरन हमे बेदखल कर कब्जा करना चाहता है ,वादी ने कब्जा प्राप्त करने का कोई अनुतोष नहीं चाहा है । अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में जब कब्जे की मोका रिपोर्ट पेश करने प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तब वादी द्धारा मोके की जॉच कराने का विरोध किया था क्योंकि मौके पर उसका कब्जा नहीं होकर कब्जा हमारा है एंव ढालिया भी बना हुआ है।इसके अतिरिक्त बयान में यह भी बताया है कि वादी ने जमीन आंवटित कराई है खरीदी नहीं है ,मोहनलाल ने किस नम्बर में आवंटन कराया मुझे पता नही है। यह सही है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है । मोहनलाल की आवंटित जमीन मेरी क्रय भूमि के पास में है । मेरे खाते में 18 बिस्वा भूमि क्रय करने के अलावा पौन बिघा जमीन ओर है जो सडक के उस पार है जो पैत्रक है। मेरा मकान गॉव में नही होकर पाटीदार समाज के स्कुल के पास होकर खातेदारी जमीन से 2000–3000 फीट दूर है ।

गवाह डी0डब्लू02 सोमा ने अपने बयान में कानजी की जमीन सागवाडा–गलियाकोट रेाड पर बांयी तरफ होकर खसरा नम्बर 131 एवं कब्जा कानजी का होना बताया है । इसके अलावा जिरह में पढा लिखा नहीं होना तथा मोहनलाल की जमीन का नम्बर पता नही होना तथा खसरा नम्बर 131 की जमीन का रकबा कितना है पता नहीं होना बताया गया है ।

पक्षकारान की साक्ष्य समाप्त होने पर विद्धान अभिभाषक गण की बहस समायत की गई ।

विद्धान वकील वादी एवं प्रतिवादी ने अपनी बहस में वादपत्र, जवाब दावा, अपने गवाहान के बयानों की पुनर्रावृत्ति करते हुए वकील वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने एवं वकील प्रतिवादी ने वाद खारीज किया जाने का निवेदन किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1– आया वादी मौजा घोटाद में स्वामित्व एंव कब्जेयाबी की वर्तमान खाता सं0 420/394 की खसरा नम्बर 4498/213 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है । (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य मौजा घोटाद की जमाबन्दी सं0 2065.68 खाता संख्या 420/394 खसरा नम्बर 4498/213 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा खातेदारी दर्ज रेकार्ड है । वादी स्वंय ने अपने बयान में वादग्रस्त जमीन के पास प्रतिवादी कानजी की जमीन होना तथा ,खातेदारी में दर्ज आराजी नम्बर 4498/313 पूर्वजों से हमारी होना एवं जमीन की सुरक्षा हेतु परकोटा बनाने के पश्चात से ही विवाद होना उक्त जमीन पर हर साल फसल लेना ,यह जमीन सागवाडा– गलियाकोट रोड पर होना , बताया गया है ।वादी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि प्रतिवादीगण का उनकी जमीन पर भी ढालिया नहीं है तथा प्रतिवादीगण का आना जाना इस जमीन से है लेकिन इससे पूर्व प्रतिवादीगण ने भवईया से उनकी जमीन ख0नं0 131 खरीदी है वह भवईया मुझ वादी की जमीन से आना जाना नही करता था ,वह उसकी जमीन से सीधा रोड पर आता था । प्रतिवादी की ओर से अपने बयान की जिरह में यह बात स्वीकार की है कि वादी को जमीन आवंटित हुई है एवं खरीदी नही है। उसके द्वारा खरीदी गई खसरा नं0 131 की जमीन के अलावा पौन बिघा ओर जमीन है जो सडक के दूसरी ओर है ।

उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 4498/213 वादी को आवंटित होकर जमाबन्दी प्रदर्श–1 मौजा घोटाद सं0 2065–68 में खातेदारी में दर्ज है । वादी की ओर से उक्त आराजी में पाथरिया एवं चने की फसल लेना भी बताया है ।जिससे वादी का उक्त आराजी पर स्वामित्व एंव कब्जा होना प्रमाणित होने से यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2– आया वादग्रस्त भूमि पर दौराने दावा प्रतिवादी नं0 1 से 7 द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का अतिक्रमण हटवा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है । (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है , चूँकि दोराने वाद वादी की ओर से ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया हो जिसे हटवा कर कब्जा दिया जाना हो । प्रतिवादीगण की ओर से भी ऐसा कोई दस्तावेज एंव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं क़िया गया है जिससे कि उनका कब्जा प्रमाणित होता हो । आराजी वादी के स्वामित्व एंव कब्जे की है । अतः इस तनकी के निर्णय की आवश्यकता नहीं है ।

तनकी संख्या 3 – आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण लम्बे समय से काबिज है , वाद सम्पूर्ण रूप से गलत होकर काबिल निरस्ती है । (प्रतिवादी)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है । प्रतिवादीगण द्वारा वाद के जवाब एंव साक्ष्य डी0डब्लू01 में वादगस्त भूमि पर ढालिया होना बताया है लेकिन ढालिया होने के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । गवाह डी0डब्लू0 1 ने अपने बयान की जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जे बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नही किया है । जिससे प्रतिवादीगण का कब्जा प्रमाणित नहीं होने से यह तनकी बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त तनकीवाईज विवेचन से तनकी संख्या 1 व 3 वादी के पक्ष में निर्णित होने से वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होने से वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा घोटाद के वर्तमान ख्याता नम्बर 420/394 के खसरा नम्बर 4498/213 की रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि के पश्चिम तरफ वादी को परकोटा बनाने से प्रतिवादीगण नही रोके न ही इस पर बाड लगाकर कब्जा करने का प्रयास करें न ही वादी को उसकी भूमि से बेदखल करने का प्रयास करें ।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2016 को खूले न्यायालय में सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner